विविध पत्रावली 2025/000

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

गुरजन्ट सिंह व अन्य बनाम गुरतेज सिंह व अन्य

प्रकरण संख्या 2025/028

online #

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
03.04.2025	वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 16 अप्रैल, 2025 को पेश हो. [signature]	
16/04/25	अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 23/4/25 को पेश हो। [signature]	
23/04/25	अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 25/04/25 को पेश हो। [signature]	
25/04/25	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा मय अपने-2 पहचान पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रोहित गुप्ता द्वारा की गई। राजीनामा [illegible] से प्रेरित होकर राजीनामा की भावना से कर लिया है। राजीनामा पक्षकारान द्वारा [illegible] बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28/04/25 को पेश हो। [signature]	गुरजन्ट सिंह Gurmanpreet Singh [illegible] [signature] 25/4/25 गुरतेज सिंह किरणदीप कौर S Singh [signature]
28/04/25	अधिवक्तागण [illegible] द्वारा राजीनामा [illegible] किया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 30/04/25 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:27 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S
वाद संख्या 28/2025
अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. गुरमनप्रीत सिंह पुत्र श्री सुखमहेंद्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)। .... वादीगण

ब ना म

1. गुरतेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती किरणदीप कौर पुत्री श्री गुरतेज सिंह पत्नी श्री सुखदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एल एन पी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर .... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री विनोद सिंवर	(प्रति. संख्या 1 से 3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–4)

दिनांक 7 मई 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वाके चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/92 का मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के पास 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि व वादी संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 3 के पास 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के नाम से कुल 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। **नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।** उक्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी संख्या 1 व प्रतिवादी 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपना हिस्सा वादी संख्या 1 को देने के लिए मौखिक रूप से कहा हुआ है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 का प्रतिवादीगण संख्या 3 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। प्रतिवादीगण ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादीगण के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 गुरजन्ट सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/92 का मुरब्बा नम्बर 5 में अपने हिस्सा की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी संख्या 2 गुरमनप्रीत सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/92 का मुरब्बा नम्बर 5 में अपने हिस्सा की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि घरू बंटवारा में दी हुई है। उक्त घरू बंटवारानाभा अनुसार वादीगण अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादीगण ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादीगण पढे लिखे व अग्रणी काश्तकारान हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.03.2025 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने सहमति से भूमि देने से वादी संख्या 1 को इन्कार कर दिया। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। अन्त में वादीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया कि वादी संख्या 1 गुरजन्ट सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/92 का मुरब्बा नम्बर 5 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह के नाम की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि का खातेदार

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:27 IST
Reason: SelfAttested

घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाया जावे। वादी संख्या 2 गुरमनप्रीत सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/92 का मुरब्बा नम्बर 5 में प्रतिवादी संख्या 3 सुखमहेन्द्र सिंह के नाम की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज करवाई जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 7 एच एच तहसील श्रीगंगानगर संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 4 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दि 28.04.2025 प्रस्तुत किया। वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विनोद सिंवर के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया। प्रति सं0 4 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 28.04.2025, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 7 एच एच तहसील श्रीगंगानगर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 28.04.2025 के अनुसार वादी संख्या 1 गुरजन्ट सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/92 का मुरब्बा नम्बर 5 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह के नाम की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, अतः उक्त रकबा वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जावे। वादी संख्या 2 गुरमनप्रीत सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/92 का मुरब्बा नम्बर 5 में प्रतिवादी संख्या 3 सुखमहेन्द्र सिंह के नाम की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि खातेदार घोषित किया जाता है अतः उक्त भूमि वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज की जावे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 7 मई 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता R.A.S.

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. गुरमनप्रीत सिंह पुत्र श्री सुखमहेंद्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

.... वादीगण

ब ना म

1. गुरतेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती किरणदीप कौर पुत्री श्री गुरतेज सिंह पत्नी श्री सुखदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एल एन पी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादीगण)
	श्री विनोद सिंवर	(प्रति. संख्या 1 से 3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–4)

दिनांक 7 मई 2025

वाद संख्या 28 / 2025

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रैक श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधि.प्रति.सं 1 ता 3 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 28.04.2025 के अनुसार वादी संख्या 1 गुरजन्ट सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10 / 92 का मुरब्बा नम्बर 5 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह के नाम की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, अतः उक्त रकबा वादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जावे। वादी संख्या 2 गुरमनप्रीत सिंह को चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10 / 92 का मुरब्बा नम्बर 5 में प्रतिवादी संख्या 3 सुखमहेन्द्र सिंह के नाम की कुल 1.581 है0 कृषि भूमि में से 0.759 है0 कृषि भूमि खातेदार घोषित किया जाता है अतः उक्त भूमि वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज की जावे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त कृषि भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूप्ये

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:27 IST
Reason: SelfAttested

_शून्य_वास्त_शून्य_खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज_शून्य_दर रूपये_शून्य_ आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 7 मई 2025 को जारी की गई।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फॉस्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:27 IST
Reason: SelfAttested